

समाहरणालय, मधेपुरा  
(जिला औपनीय शाखा)  
पत्रांक... 3075 / 1308  
सप्ट

प्रेषक,

जिलाधिकारी  
मधेपुरा।

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी  
आलमनगर।

मधेपुरा, दिनांक 27/12/13

विषय : सी0डब्लू0जे0सी0 नं0- 18920 /2013 बीरेन्द्र कुमार मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में प्रतिशपथ पत्र दायर करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0- 18920 /2013 बीरेन्द्र कुमार मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद, जो श्री बीरेन्द्र कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त, जनसेवक के सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित है, में प्रतिशपथ पत्र एक सप्ताह के अन्दर तैयार कर जिला पदाधिकारी के अनुमोदन हेतु उपस्थापित करना सुनिश्चित करें।

इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 20-12-2013 को सुनवाई हो चुकी है। अतः एक सप्ताह के अन्दर प्रतिशपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा विलम्ब होने की सारी जवाबदेही आपकी होगी। सुलभ प्रसंग हेतु बेतार संवाद की प्रति संलग्न है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिलाधिकारी  
मधेपुरा।

W



क्र.	विवरण	आदेश सं.	दिनांक
		887	200

इस पत्र के अंतर्गत कृषि विभाग के अधिकारियों के रूप में के अंतर्गत

Collector MDA/B.D.O. Alam nagar MDA

Dhurguati Kr. Prasad G.P. no. 7

17193/patna दिनांक 24/12/13 के अंतर्गत में विभाग सुरत विकल्प

Sub:- CWJC. no. 18920 of 2013 @ Birendra Kr. Mishra VRS. the state of Bihar and others @ C. Ref. no. 141194/13 @ This is to inform you that the above noted case has been filed for directing the respondents for calculate the entire post retiral benefits payable to the petitioner calculating his entire past services rendered under the respondents @ it is further to say that vide order dated 20/12/13 the honble court has directed to file counter affidavit in this matter within 6 weeks @ Accordingly you are advised to send instructions/statement of facts for filing counter affidavit within the stipulated time failing which the honble court may pass any adverse order for which you will be solely responsible @ Treat it as M.U @

1115/27  
27/12/13

1940/26